क्रमांक 3261015/माइक्रो/2019
कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर, भोपाल –462003
दूरभाष 2552646, 2552878, फैक्स 2552406
Email ID encwrbpl-mp@nic.in

भोपाल, दिनांक /07/2019

प्रति,

समस्त मुख्य अभियंता,
..................................कछार/परियोजना/पी.एम.यू.
जल संसाधन विभाग,
....(म.प्र.)

विषय :– ड्रिप एवं स्प्रिंकलर पद्धति के माध्यम से सिंचाई के प्रचार–प्रसार के संबंध में ।

संदर्भः– 1. कार्यालयीन पत्र क्रं. 3352030/राजस्व/2019 दिनांक 26.05.2019 एवं पृ. क्रं. 4214/13/2019–20 दिनांक 25.05.2019.

2. मध्यप्रदेश माध्यम का पत्र क्रं. मप्रमा/ग्राफिक्स/2019/1552 दिनांक 03.07.19 तथा 1593 दिनांक 05.07.2019.

जल संसाधन विभाग द्वारा परम्परागत सिंचाई साधनों के अतिरिक्त दाबयुक्त सूक्ष्मसिंचाई प्रणाली (Pressurised micro irrigation system) युक्त सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है।

इन योजनाओं से ड्रिप एवं स्प्रिंगकलर पद्धति के माध्यम से सिंचाई किये जाने हेतु कमाण्ड क्षेत्र के किसानों को प्रोत्साहित किये जाने के लिये जनसम्पर्क विभाग के अधीन संचालित 'म.प्र.माध्यम' के सहयोग से प्रचार–प्रसार किया जाना है, संबंधी निर्देश प्राप्त होने पर 'म.प्र.माध्यम' के अधिकारियों से सम्पर्क कर माइको सिंचाई पद्धति के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु विभागीय तकनीकी तथा अन्य जानकारी उपलब्ध कराई गई ।

'म.प्र.माध्यम' द्वारा प्रचार–प्रसार हेतु परियोजनाओं से लाभान्वित ग्रामों में होर्डिंग, फलैक्स, आयरन फलैक्स बोर्ड, यू.वी. प्रिंटिग, विनायल स्टीकर, नुक्कड़ नाटक, डिजिटल वाल पैंटिग तथा वीडियो वैन के माध्यम से प्रचार–प्रसार करने हेतु उनकी स्वीकृत दरों के अनुसार अनुमानित व्यय का प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया है ।

मोहनपुरा परियोजना के आर.बी.सी. के कमाण्ड क्षेत्र में 25,000 हेक्टर हेतु प्रस्तावित सिंचाई से लाभान्वित 167 ग्रामों हेतु नमूना प्राक्कलन तैयार किया जाकर कुल प्राकलित राशि रू. 1,40,31,143 अनुमानित की गई है, तदानुसार लगभग रू. 28.00 लाख प्रति 5,000 हेक्टर क्षेत्र में प्रचार–प्रसार हेतु व्यय अनुमानित किया गया है ।

उक्त परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश में निर्माणाधीन सभी माइको परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्र में प्रचार–प्रसार हेतु 'म.प्र. माध्यम' से कार्य कराया जाना है । जिससे कमाण्ड क्षेत्र के कृषकों में माइको सिंचाई पद्धति के प्रति जागरूकता फैलाई जाकर उन्हे अधिकाधिक संख्या में यह प्रणाली अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके ।

सभी माइको सिंचाई परियोजना क्षेत्र में प्रचार–प्रसार हेतु कार्यवाही की जाना है। मुख्य अभियंता अपने कार्यक्षेत्र में लक्ष्य एवं आवश्यकतानुसार कमांड क्षेत्र में परियोजना के मदों के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

संलग्नः–संदर्भित पत्रों की छायाप्रति

हस्ता/-
(मदन सिंह डाबर)
प्रमुख अभियंता,जल संसाधन विभाग,
भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक 3261015/माइक्रो/2019 भोपाल, दिनांक 06/07/2019

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. मुख्य अभियंता, बोधी, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. वेब मैनेजर जल संसाधन विभाग की ओर विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

06.07.19
(मदन सिंह डाबर)
प्रमुख अभियंता,जल संसाधन विभाग,
भोपाल (म.प्र.)

कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,जल संसाधन भवन,
तुलसी नगर, भोपाल-462003
दूरभाष-2552646,2552878 फेक्स 2552406
Email- encwrbpl@mp.nic.in

क्रमांक- /33590/रजस्व/2019
30
भोपाल, दिनांक 16.05.2019

प्रति,

समस्त मुख्य अभियंता

जल संसाधन विभाग

विषयः-माइको सिंचाई परियोजना के संबंध में ।

---00---

जल संसाधन विभाग में वर्तमान में अनेकों माइको सिचाई परियोजनाओं का कार्य तीव्र गति से प्रगतिरत है । इन परियोजनाओं से सिंचाई का इष्टतम लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से माइको सिंचाई के संबंध में सुव्यवस्थित सघन दृश्य-श्रव्य प्रचार-प्रसार लाभांवित होने वाले कृषकों के मध्य किया जाना आवश्यक है जिससे वे इन परियोजनाओं से माइको सिंचाई का उपयोग कर अच्छी गुणवत्ता युक्त फसलों से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें एवं जल के मितव्ययी उपयोग के संबंध में भी सजग रहें । अतः निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें :-

1. माइको सिंचाई किये जाने हेतु किसानों को जागरूक बनाने की दृष्टि से अनुबंध में प्रावधान अनुसार डिमास्ट्रेशन फार्म बनाये जाकर चालू किये जावें ।
2. इन डिमास्ट्रेशन फार्म में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर दृश्य श्रव्य प्रचार-प्रसार सामग्री जिसमें माइको सिंचाई के उपयोग किये जाने तथा इससे प्राप्त होने वाले लाभों का सुस्पष्ट वर्णन हो, किसानों के मध्य ग्राम पंचायत के माध्यम से वितरित किया जाना सुनिश्चित करें ।
3. संबंधित प्रचार-प्रसार सामग्री को विभिन्न माध्यमों द्वारा भी वितरित एवं प्रचारित किया जाना सुनिश्चित किया जावें ।
4. म.प्र.कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कृषकों के प्रशिक्षण एवं विस्तार हेतु नियमित अंतराल पर आयोजन किये जावें ,जिससे किसानों को माइको सिंचाई पद्वति के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जा सकें ।

कृपया सुनिश्चित करें कि आगामी रवी सिंचाई के पूर्व जिन परियोजनाओं से माइको सिचाई की जाना है वहां उक्त कार्यवाही पूर्ण कर ली जावें । आपके कार्यक्षेत्र के संबंधित अधिकारियों तथा किसानों आदि को भी ऐसी परियोजनाओं

Recevied
17/5/19

क्रमांक–4214/13/2019–20
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग,
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर,
भोपाल–462003
दूरभाष 2552646,2552378 फैक्स 2552406,
Email ID-cao.eincwrdbpl@ gmail.com

भोपाल, दिनांक /05/2019

//आदेश//

जल संसाधन विभाग द्वारा परम्परागत सिंचाई साधनों के अतिरिक्त दाब युक्त (Pressurised Micro irrigation System) सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है । इन योजनाओं से ड्रिप एवं स्प्रिंकलर पद्वति के माध्यम से सिंचाई किये जाने हेतु मध्य प्रदेश के किसानो को प्रशिक्षित एवं प्रोत्साहित किये जाने के लिये जन संपर्क विभाग के अधीन संचालित मध्य प्रदेश माध्यम के सहयोग से प्रचार–प्रसार किये जाने हेतु निम्नानुसार क्रियान्वयन समिति का गठन किया जाता है :–

(1) श्री के0 जी0 सिंह, अधीक्षण यंत्री, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
(2) श्री दीपक सतपुते, अधीक्षण यंत्री, बोधी, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
(3) श्री अजय खोसला, कार्यपालन यंत्री, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
(4) श्री विपिन तिवारी, सहायक संचालक, बोधी, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
(5) सुश्री रिचा उपाध्याय, सहायक संचालक, बोधी, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।

उपरोक्त समिति म0प्र0 माध्यम के अधिकारियो से संपर्क स्थापित कर उन्हें माइक्रो सिंचाई पद्वति के व्यापक प्रचार एवं प्रसार हेतु विभागीय तकनीकी तथा अन्य आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायेगी, जिससे कि म0प्र0 माध्यम द्वारा परियोजना से लाभान्वित ग्रामो में होडिंग, फ्लैक्स, स्लोगन, तथा नुक्कड नाटकों के साथ–साथ समस्त दृश्य एवं श्रव्य माध्यमों के जरिये ड्रिप एवं स्प्रिंकलर से सिंचाई किये जाने के लिये कृषकों को प्रशिक्षित एवं प्रोत्साहित कर सकें ।

25.5.19
(ए0 के0 जैन)
मुख्य अभियन्ता (बजट)
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
जल संसाधन विभाग भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक 4214/13/2019–20 भोपाल, दिनांक 25/05/2019
प्रतिलिपि :–

(1) अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल ।
(2) अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, जन संपर्क विभाग मंत्रालय भोपाल ।
(3) प्रबंध संचालक,मध्य प्रदेश शासन माध्यम, भोपाल । कृपया दाब युक्त सिंचाई परियोजना के प्रचार–प्रसार कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित ।
(4) श्री के0 जी0 सिंह,अधीक्षण यंत्री, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
(5) श्री दीपक सतपुते, अधीक्षण यंत्री,कार्यालय मुख्य अभियन्ता (बोधी) जल संसाधन विभाग,भोपाल ।
(6) श्री अजय खोसला, कार्यपालन यंत्री, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
(7) श्री विपिन तिवारी,सहायक संचालक,कार्यालय मुख्य अभियन्ता(बोधी)जल संसाधन विभाग,भोपाल
(8) सुश्री रिचा उपाध्याय,सहायक संचालक कार्यालय मुख्य अभियन्ता (बोधी) जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

25.5.19
(ए0 के0 जैन)
मुख्य अभियन्ता (बजट)
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
जल संसाधन विभाग भोपाल

136

प्रदेश माध्यम
(देश शासन का उपक्रम)
dhya Pradesh Madhyam
ovt. of Madhya Pradesh Undertaking)

40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल
भोपाल (म.प्र.) - 462011
ई.पी.बी.एक्स. : 0755-2551330, 4281330
फैक्स : 0755- 4228409
Website : www.mpmadhyam.in
E-mail : info@mpmadhyam.in

क्रमांक/मप्रमा/ग्राफिक्स/2019/1552 भोपाल, दिनांक : 03/07/2019

प्रति,

प्रमुख अभियन्ता,
जल संसाधन विभाग,
भोपाल

विषय :– ड्रिप एवं स्प्रिंकलर पद्धति के माध्यम से सिंचाई के प्रचार–प्रसार के संबंध में।

संदर्भ :– आपके कार्यालय का पत्र पृष्ठांकन क्र./4214/13/2019–20, दिनांक 25.05.2019

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त संदर्भ में दिनांक 02.07.2019 को आपके कक्ष में आपके साथ जल संसाधन विभाग के संबंधित अधिकारियों एवं म.प्र. माध्यम के अधिकारियों की विषयान्तर्गत चर्चा सम्पन्न हुई है। उक्त चर्चानुसार प्रथमतः मोहनपुरा सिंचाई परियोजना के लिये ड्रिप एवं स्प्रिंकलर पद्धति के माध्यम से सिंचाई के प्रचार–प्रसार के लिये प्रचार–प्रसार के मद, स्पेसिफिकेशन, दरें एवं अनुमानित व्यय का प्राक्कलन (परिशिष्ट–'एक') इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर आगामी आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित है।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(हेमंत वायंगणकर)
महाप्रबंधक (ग्राफिक्स एण्ड प्रिंटिंग)

परिशिष्ट–'एक'

मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल

मोहनपुरा आर.बी.सी. कमांड क्षेत्र में प्रचार प्रसार हेतु प्राक्कलन

(अ)

क्र	प्रचार प्रसार मद	प्रचार प्रसार स्पेसिफिकेशन	दरें (रूपये) प्रतिनग	संख्या प्रति गांव	राशि (रूपये) प्रति गांव	कुल गांव	कुल राशि (रूपये)
1	यू.वी. प्रिटिंग	4'X3'	3947.45	5	19737.25	167	3296121
2	आयरन फलेक्स बोर्ड	10'X10'	9263.00	4	37052	167	6187684
3	फलेक्स बनेर	4'X8'	304.00	10	3040	167	507680
4	विनाईल स्टीकर.	10"X10"	17.91	100	1791	167	299097
5	नुक्कड नाटक	1	1290.00	5	6450	167	1077150
6	डिजीटल वॉल पेटिंग	6'X4'	1107.312	10	11073.12	167	1849211
				कुल–	79143.73		13216943

(ब)

क्र	प्रचार प्रसार मद	प्रचार प्रसार स्पेसिफिकेशन	दरें (रूपये) प्रति विडियों वैन, प्रतिमाह	संख्या प्रति विकास खण्ड	राशि (रूपये) प्रति विकासखण्ड	कुल विकासखण्ड	कुल राशि (रूपये)
1	छोटी वीडियों वैन (टाटा–407 / समकक्ष)	1	203550	2	407100	2	814200
				कुल–	407100		814200

महायोग (अ एवं ब) –	**14031143**

नोट :–

(1) उपरोक्त स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार उपरोक्त (अ) कमांक 1,2,3,4 एवं 6 के कार्यों की दरें केवल एक बार कार्य सम्पन्न करने की दरें है। इसलिए उक्त कार्य एक बार सम्पन्न किये जायेंगे। जिन स्थानों पर उक्त सामाग्री लगाई जायेंगी वह स्थान म.प्र. माध्यम के नियंत्रण में नहीं होंगे। इसलिए म.प्र. माध्यम द्वारा उक्त सामग्री/कार्यो का संधारण नहीं किया जा सकेगा।

(2) नुक्कड नाटक दलों द्वारा 167 गावों में तीन माह में कुल 835 कार्यक्रम किये जायेंगे। छोटी वीडियों वैन द्वारा प्रत्येक विकासखण्ड में 2 वैन के द्वारा दो विकासखण्डों में कुल 4 वैन द्वारा एक माह प्रचार प्रसार कार्य किया जायेगा।

हेमंत वायंगणकर
महाप्रबंधक (ग्राफिक्स/मुद्रण)